न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 46/2022

अपीलार्थी–

1. पोकरराम पुत्र पैलादराम, जाति जाट निवासी लेगो की ढ़ाणी, सोहडा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।

बनाम

उत्तरदातागण–

1. उदाराम पुत्र रायमलराम जाति जाट, निवासी हदाणियों की ढ़ाणी (हीरा की ढ़ाणी) तहसील गिड़ा जिला बलोतरा।
2. बाबूराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी लेगों की ढ़ाणी, सोहडा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिड़ा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक– राजस्व/99/48 दिनांक 31.03.1999 उपतहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रिणछा राम सियाग, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार, अधिवक्ता उतरदातागण की ओर से अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

आदेश

दिनांक : – 15.5.2024

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। उतरदाता संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता अनुपस्थित। उतरदाता संख्या 01 व 02 बाद नोटिस तामिल के अनुपस्थित। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 व 02 हिन्दू विधि से शासित है जिनका पैतृक खातेदारी खेत मूल खसरा नम्बर 2 संयुक्त रकबा 245 बीघा 06 बिस्वा सरहद मौजा लेगों की ढ़ाणी पटवार मण्डल सोहडा तहसील गिड़ा में अवस्थित है। जो कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 व 02 को विरासत में प्राप्त हुई है।

आतेरिक्त जिला कलेक्टर

बालोतरा

उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अपीलांट को जानकारी दिये बिना ही हल्का पटवारी से मौके की स्थिति के विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उस पर अपीलांट के अगुष्ठ निशान कर विभाजन प्रस्ताव करवा दिया गया जो कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक – राजस्व/99/48 उपतहसीलदार गिड़ा दिनांक 31.03.1999 को पारित किया गया।

2. इस न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु मिसल चिटठ़ी लिखी गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अवगत कराया कि मूल बंटवाड़ा आदेश की पत्रावली उपलब्ध नहीं है। उक्त बंटवाड़ा आदेश भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा को ध्यान में नहीं रखते हुए उपतहसीलदार गिड़ा द्वारा किया गया। मौके पर पक्षकारान के कब्जा–काश्त के विपरीत यह आदेश पारित किया गया है। जिसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हुई है। अधिवक्ता ने अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से किये गए बंटवाड़े में अपीलांट को धोखे में रखते हुए अगुष्ठ निशान करावाये गये हैं तथा अपीलांट की बिना जानकारी के गलत रूप से विभाजन हेतु तरमीम का नक्शा दर्शाया गया है। जिसके बारे में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उक्त विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया था। जिससे मौके पर कब्जा काश्त, ढाणिया को नजरअंदाज करते हुए बंटवाड़ा किया गया। जिस कारण अपीलान्ट व उनके पुत्रों की वर्षो पूर्व बनाई गई पैतृक ढाणिया आदि मौके पर उतरदाता के हिस्से में चली गई थी। अतः उपतहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक – राजस्व/99/48 दिनांक 31.03.1999 को अपास्त कर पत्रावली को पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने के लिए तहसीलदार गिड़ा को प्रेषित की जावे।

3. उतरदाता संख्या 01 व 02 जो बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे है एवं अधिवक्ता उतरदाता संख्या 01 व 02 भी बावजूद सूचना जरिये कॉज लिस्ट लगातार अनुपस्थित रहे है।

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

4. हमनें अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण रजिस्टर मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं मूल बंटवाड़ा आदेश की अनुउपब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा पत्रावली के गहन अध्ययन उपरांत पाया कि मौजा लेगों की ढ़ाणी पटवार मण्डल सोहडा तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 2 भूमि का बंटवाड़ा आदेश दिनांक 31.03.1999 को पारित किया गया था जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में बंटवाड़ा आदेश को अमलदरामद किया गया था। चूंकि अपीलांट की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अपीलांट अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा चाहता है। ऐसी सूरत में अपीलांट की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार कर आंशिक स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक – राजस्व/99/48 दिनांक 31.03.1999 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार गिड़ा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अुनसार एवं हिस्सा अनुसार सभी पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का विभाजन आदेश एवं नक्शे में अंकित करते हुए पुनः विधिवत नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा